मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, ...

करानी/मंदसौर/स्टांप अधि/2017/3324 पुर्नरीक्षण याचिका क्रमांक /17

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल

द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भदभदा रोड,

भोपाल म.प्र. --------- रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, मंदसौर
2. उप–महानिरीक्षक पंजीयन, परिक्षेत्र भोपाल

प्लाट नं. 36–ए, अरेरा हिल्स,

जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल म.प्र.---- उत्तरदातागण

अभिभावक श्री धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा आज दिनांक 5/8/17 को पेश।

अधीक्षक

दि. 28-8-17 को आयुक्त कार्य हेतु प्राप्त 28-8-17

रिवीजन अंतर्गत धारा 56(1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

यह कि रिवीजनकर्ता द्वारा माननीय महानिरीक्षक पंजीयन के समक्ष तथा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष इस आशय के अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, कि रिवीजनकर्ता म.प्र. में आने वाले जलाशयों से मत्स्य से आखेट का कार्य मछुआरा समितियों के माध्यम से कराता है, और मछली विक्रय हेतु अनुबंध करता है। उक्त अनुबंध का पंजीयन नहीं किया जाता है, किन्तु उत्तरादाता क्रमांक 2 द्वारा जो अनुबंध निष्पादित होते है, का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है, के संबंध में जारी किया गया था, इस संबंध में माननीय वरिष्ठ जिला पंजीयन वास्ते महानिरीक्षक पंजयीन एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु उनके द्वारा पत्र दिनांक 30/05/2017 एवं पत्र दिनांक 08/06/2017 के द्वारा अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया, ऐसी दशा में रिवीजनकर्ता माननीय महोदय के समक्ष यह पुर्नरीक्षण याचिका निम्न तथ्यो एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मंदसौर एवं जिला भोपाल

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/स्टाम्प अधि./2017/3324

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । अत: यह निगरानी विधिवत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	